



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2017/चैत्र 29, 1939

No. 1077]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2017/CHAITRA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2017

**प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, अधिसूचना सं.का.आ.4061 (अ) में संशोधन**

**का.आ. 1218(अ).**—वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) (इससे आगे इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 199 ख के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 4061(अ), दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 204(अ) में संशोधन और आगे दिनांक 07 फरवरी 2017, की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) में संशोधन के तहत अधिसूचित **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना** के खंड 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में संशोधन करती है।

2. मूल अधिसूचना के खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

**“5. जमा की प्रभावी तारीख—** बांड लेजर खाते को खोलने की प्रभावी तारीख अधिकृत बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा प्राप्ति की तारीख होगी; जिसमें 31 मार्च, 2017 तक देय कर, अधिभार और जुर्माना प्राप्त हो गया है;

यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी मामलों में जमा की तारीख 30 अप्रैल, 2017 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

[फा. सं. 3(1)-डब्ल्यूएंडएम/2016]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th April, 2017

**Amendment to Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme, Notification No S.O. 4061 (E)**

**S.O. 1218(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 199B of the Finance Act, 2016 (28 of 2016) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby amends the conditions specified in clause 5 of the **Pradhan Mantri Garib Kalyan Deposit Scheme** notified vide Notification No. S.O.4061 (E) dated December 16, 2016, amended vide Notification No. S.O. 204(E) dated January 19, 2017 and further amended vide Notification No. S.O. 365 (E) dated February 07, 2017.

2. In place of clause 5 of the original notification the following shall be substituted:

**“5. Effective date of deposit** — The effective date of opening of the Bonds Ledger Account shall be the date of receipt of deposits by the Reserve Bank of India from the authorized banks; wherein the due tax, surcharge and penalty has been received till 31st March, 2017;

Provided further that the date of deposit shall in no case be extended beyond 30th April, 2017.”

By Order of the President of India,

[F. No. 3(1)-W&M/2016]

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.